# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )
वाद सं0 : 1106 सन 2021
अनवान :–

1. अन्जूदेवी पुत्री सन्तलाल पत्नी वेदप्रकाश जाति तारग साकिन कलरखेडा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
2. प्रियंका पुत्री सन्तलाल पत्नी धर्मपाल जाति तारग साकिन कलरखेडा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का

**वादीगण**

**बनाम**

1. लता पुत्री सन्तलाल पत्नी सोहनलाल जाति तारग साकिन करणपुर तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर
2. गोविन्दराम पुत्र सन्तलाल जाति तारग साकिन नोहर तहसील नोहर।
3. निर्मला आचार्य पुत्री सन्तलाल जाति तारग साकिन नोहर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88**

उपस्थित : श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

**निर्णय दिनांक :–** 19/4/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 118/108 के खसरा न0 54 की 7.2080हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पुष्पादेवी पत्नी सन्तलाल के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पुष्पादेवी पत्नी सन्तलाल के नाम से दर्ज है पुष्पादेवी पत्नी सन्तलाल वादीयागण की माता है पुष्पादेवी पत्नी सन्तलाल का देहान्त हो चुका है पुष्पादेवी पत्नी सन्तलाल के जायज वारिसान वादीयागण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो पुष्पादेवी पत्नी सन्तलाल के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीयागण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कई मर्तबा कहा की वादीयागण के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की पुष्पादेवी पत्नी सन्तलाल जो वादीयागण की माता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीयागण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिस उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 ,3 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादीयागण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की पुष्पादेवी पत्नी सन्तलाल के नाम दर्ज भूमि वादीयागण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 118/108 के खसरा न0 54 की 7.2080हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पुष्पादेवी पत्नी सन्तलाल के नाम सें दर्ज है।

Scanned with CamScanner

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पुष्पादेवी पत्नी सन्तलाल के नाम से दर्ज है पुष्पादेवी पत्नी सन्तलाल वादीयागण की माता है पुष्पादेवी पत्नी सन्तलाल का देहान्त हो चुका है पुष्पादेवी पत्नी सन्तलाल के जायज वारिसान वादीयागण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो पुष्पादेवी पत्नी सन्तलाल के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने विरास्तन से भूमि दर्ज करवाने का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 118/108 के खसरा न0 54 की 7.2080हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पुष्पादेवी पत्नी सन्तलाल के नाम सें दर्ज है।

वादीयागण का कथन है कि वाद भूमि उनकी माता पुष्पादेवी पत्नी सन्तलाल के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है पुष्पादेवी पत्नी सन्तलाल के जायज वारिसान वादीयागण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो पुष्पादेवी पत्नी सन्तलाल के नाम दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है वादीयागण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ,3 न्यायालय में उपस्थित नही आये अर्थात मौन स्वीकृति है तथा वादीया ने अपने कथनों के समर्थन में पुष्पादेवी का मृत्यू प्रमाण पत्र पेश किया गया जिससे पुष्पादेवी पत्नी सन्तलाल का देहान्त होना पूर्णत्या साबित है तथा वादीया अजू ने वारिसान के सम्बध में शपथ पत्र पेश किया गया है जिसका कोई ऐतराज नही हुआ है बल्की सहमति जाहिर हुई अर्थात पुष्पादेवी पत्नी सन्तलाल के जायज वारिसान वादीयागण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 होना साबित है जो पुष्पादेवी पत्नी सन्तलाल के नाम से दर्ज भूमि को विरास्तन से अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 118/108 के खसरा न0 54 की 7.2080हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पुष्पादेवी पत्नी सन्तलाल के नाम सें दर्ज है। का नाम कलमजन किया जाकर वादीयागण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 पाचों बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 19/4/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

Scanned with CamScanner

# पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर**

अनवान :–

1. अन्जूदेवी पुत्री सन्तलाल पत्नी वेदप्रकाश जाति तारग साकिन कलरखेडा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
2. प्रियंका पुत्री सन्तलाल पत्नी धर्मपाल जाति तारग साकिन कलरखेडा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का

**वादीगण**

**बनाम**

1. लता पुत्री सन्तलाल पत्नी सोहनलाल जाति तारग साकिन करणपुर तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर
2. गोविन्दराम पुत्र सन्तलाल जाति तारग साकिन नोहर तहसील नोहर।
3. निर्मला आचार्य पुत्री सन्तलाल जाति तारग साकिन नोहर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 1106 सन 2021 निर्णय दिनांक–** 19/6/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 118/108 के खसरा न0 54 की 7.2080हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पुष्पादेवी पत्नी सन्तलाल के नाम सें दर्ज है। का नाम कलमजन किया जाकर वादीयागण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 पाचों बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

Scanned with CamScanner